राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/14 दिनांक 02.04.2020

आदेश

जबकि, आदेश सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/3, दिनांक 26.03.2020 (अनुलग्नक–I) के द्वारा दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि वे अपने संबंधित जिलों में दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान उपयुक्त स्थलों पर बेघरों/वंचित/गरीब अथवा व्यथित लोगों को नियमित तौर पर लंच और डिनर के रूप में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के आदेश दे सकते हैं, जिसमें समाज के सबसे निर्धन वर्गों को भोजन दिए जाने पर जोर रहे और दिल्ली को भूख से मुक्त किया जाना सुनिश्चित हो सके।

और जबकि, दिनांक 26.03.2020 के उपर्युक्त आदेश के तहत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, सभी जिलाधिकारियों ने, शुरुआत करते हुए, अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक निगम वार्ड में दो उपयुक्त स्थलों पर निर्धारित समय पर प्रतिदिन दो बार 500–500 भोजन (लंच और डिनर) के लिए फूड सेंटर/हंगर रिलीफ सेंटर चालू किए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 29.03.2020 के आदेश (अनुलग्नक–II) के द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और राज्य/संघ शासित प्रदेश प्राधिकरणों को निदेश दिए हैं कि वे गरीबों और जरूरतमंद लोगों सहित ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए, जो संबंधित क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण रूके हुए हैं, के लिए अस्थायी शेल्टरों और भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें।

और जबकि, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आन पड़ी है कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे अतिरिक्त सेंटर खोले जाने और भोजन के वितरण/परोसे जाने के समय सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है, विकेंद्रीकृत आधार पर इन अतिरिक्त सेंटरों को खोले जाने की आवश्यकता है।

अतः, अब, गृह मंत्रालय के उपर्युक्त आदेशों के तहत जारी निदेशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत तथा दिनांक 26.03.2020 (अनुलग्नक–I) के उक्त आदेश के क्रम में राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकारी स्कूलों, अर्थात् शिक्षा निदेशालय के स्कूलों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एवं संबद्ध नगर निगमों के स्कूलों में तत्काल प्रभाव से जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त मात्रा में दिन में दो बार पका हुआ भोजन अर्थात् लंच और डिनर दिए जाने की आवश्यक व्यवस्था (पहले से चल रही व्यवस्था के अलावा) की जाए, जबकि जिलाधिकारियों/संबंधित पुलिस उपायुक्तों के संयुक्त आकलन के अनुसार ऐसे सेंटर खोले जाने की आवश्यकता है ताकि हमारे सीमित संसाधनों का इष्टतम तरीके से उपयोग होना

Scanned with CamScanner

सुनिश्चित हो सके. साथ ही, ऐसे सेंटर खोले जाते समय सर्वसंबंधित भारत सरकार के निदेशों/दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें।

यह विशेष तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित स्कूल प्राधिकारी अर्थात् अध्यक्ष (नई दिल्ली नगरपालिका परिषद), संबंधित नगर निगमों के आयुक्त और सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में की व्यवस्था करने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होंगे, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी अन्य आदेशों को लागू करेंगे. दिनांक 26.03.2020 (अनुलग्नक–I) के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करना जारी रखा जाएगा।

यह दोहराया जाता है इन सेंटरों पर भोजन के वितरण/परोसे जाने के समय कि कोविड–19 के परिप्रेक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल और अन्य लागू उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए. इन अतिरिक्त सेंटरों के लिए अपेक्षित निधि का निपटान कार्य वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा. इसके लिए जिलाधिकारियों का पूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रहेगा।

संबंधित मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी, तथापि, एनडीएमए, डीडीएमए द्वारा जारी आदेशों के कड़े क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली और संबंधित जिलों को भूख से मुक्त रखा जा रहा हो।

यह आदेश दिनांक 14.04.2020 की मध्यरात्रि तक वैध रहेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

संलग्न : यथोक्त

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु –

1. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
2. सचिव, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम।
4. आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम।
5. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

Scanned with CamScanner

2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।

3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली।

4. प्रधान सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

5. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए।

6. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।

7. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned with CamScanner